Golden Research thoughts
Volume 2, Issue. 1, July 2012
ISSN:-2231-5063

Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

म.गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण जिवनस्तरपर प्रभाव

भालचंद्र आर.देशमुख

सहा.प्राध्यापक
गुलामनबी आझाद कॉलेज ऑफ सोशल वर्क पुसद.
Email:bdeshmukh2020@rediffmail.com

सारांश :–

भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनता आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जिसकी आजिविका कृषी क्षेत्र से जुडी है। भुमंडीलीकरण तथा नैसर्गीक–शासकीय प्रकोपसे आजादी के 65 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में पुर्णतः रोजगार उपलब्ध नही हो पाया। जिसके कारण मजदुरीके लीए साल में 6 से 7 महिने शहर या अन्य जगहो पर पलायन की जरूरत आ पडती है। इसे मद्देनजर रख कर संसद ने 2005 से ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ''(नरेगा) लागू कर ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार से दिलाने अहम कदम उठाया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है।

प्रस्तूत अध्ययन में प्राथमिक तथ्योके आधार पर इस योजना कि ग्रामीण जिवनस्तर पड रहा प्रभाव का अध्ययन कर इसकी यशस्विता का मुल्यमापन किया गया है।

कि वर्ड– रोजगार, नरेगा, ग्रामीण क्षेत्र, पलायन, भुमंडलिकरण

प्रस्तावना :–

दुनिया की सबसे बडी लोकशाही संसद द्वारा आवाजी मतदान से पारित किया गया ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ''(नरेगा) देश में 25 अगस्त 2005 से अंमल मे लाया गया। देश में यह अधिनियम 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के नामसे जाना जाता है, जहाँ महाराष्ट्र में उसे 'महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना' (मग्रारोहयो) इस नामसे कार्यान्वित किया गया है (आज यह योजना म.गांधी रोजगार योजना के नाम से जानी जाती है)। 2020 तक भारत एक महासत्ता की रूप में उभरकर आने की संभावनाए जताई जा रही है। एक ओर भारत का विकास दर हर साल बढ रहा है और वही ग्रामीण क्षेत्र रोजगार के लिए तरस रहा है। रोजगारी से झुजते ग्रामीण क्षेत्र में दरिद्रता कि संख्या में बढोतरी होकर खादयान्न से भुखमरी का प्रश्न अधिक से अधिक बिकट हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण जनता शहर की ओर प्रस्थान कर रही है जिसके कारण शहरो की नयी समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इस हालात से निपटने के लिए भारत सरकारने महाराष्ट्र की धरतीपर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम पारीत कर, सालमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देकर राज्यघटना की कलम 41 और 21 की आपुर्ती की है। महाराष्ट्र सरकारने 1977 में तत्कालीन महाराष्ट्र विधानसभा सभापती श्री.वि.स.पागे की कल्पनासे ग्रामीण रोजगार की समस्यासे निपटने के हेतू रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किया था, जिसका ग्रामीण जिवनपर सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। इसी योजना को भारत सरकारने 2005 में अधिनियम बनाकर ग्रामीण जिवन को रोजगार कें संदर्भ में आश्वस्त किया। सालाना बजेट में इस योजना के लिए प्रावधान (सारणी क. 1) कर इस योजनासे ग्रामीण जिवन को उभारने का प्रयास किया जा रहा है। पर क्या सही मायनेमें इस योजनासे ग्रामीण जिवन उभर पा रहा है?क्या रोजगार की समस्या में कमी आयी है?क्या इस योजना से ग्रामीण जनता का सामाजिक–आर्थिक उत्थान हो रहा है?यह जानने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कलमनुरी ब्लॉक अंतर्गत महालिंगी, देववाडी झुणझुणवाडी इन आदिवासी बहुल गाव में इस योजना कि स्थिती का जायजा लिया गया । लगभग 500 की आबादीवाले इन गावो से 124 परिवार तथा प्रशासकीय व्यवस्था (ग्रामपंचायत), सरपंच–सदस्योसे मुलाखात कर इस योजना कि यशस्वीता को जानने कि कोशीश की गयी है।

- ***गावमें योजना की जनजागृती एवंम अमंल–***

Please cite this Article as : ***भालचंद्र आर.देशमुख ,म.गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का ग्रामीण जिवनस्तरपर प्रभाव*** **: Golden Research Thoughts (July; 2012)**

महालिंगी, देववाडी, झुणझुणवाडी गाव आदिवासी जनजाती कि है, जहाँ शिक्षा का प्रसार बहोत कम है। 2001 कि जनगनना के अनुसार तकरिबन 55 प्रतिशत जनता निरक्षर है तथा उच्च शिक्षा का प्रमाण केवल 15 प्रतिशत है। रोजगार कि स्थिती अत्यंत बिकट होकर बिपीएल कार्ड धारकोकी संख्या काफी मात्रा में है।

इस योजना की उपरोक्त गावो में जनजागृती एवंम अमंल कि स्थिती यह स्पष्ट कराती है की, गांव में भलेही निरक्षर लोगो की संख्या अधिक हो पर सभि लोग इस योजना से परिचित है। तथा इस योजना के प्रारंभीक तौर पर जो नियम बनाये गये है, जिसमें इस योजना में केवल 18 साल की उम्र पुरी करणे परही जॉब कार्ड दिया जाये, रेकॉर्ड तथा जॉब कार्ड से यह स्पष्ट होता है की इस नियम का पुरी तरह पालन किया गया और गाँव के सभी लोगो को जिन्होने इस योजना के लिए आवेदन दिया था उन्हे कार्ड का वितरण किया गया।

इस योजना के प्रारंभीक उद्देश में ही, साल में 100 दिन रोजगार कि गारंटी दि गयी है। गाँव मे काम न मिलनेपर तत्काल ग्रामपंचायत को आवेदन देकर रोजगार उपलब्ध किया जाऐगा यद्यपी ग्रामपंचायत काम देणे में सफल नही हो पाती है तो इस हालात में आवेदको को घर बैठे वेतन कि बात भी संम्मिलीत है। संदर्मित गावोंमे इस योजना कि तहत काफी मात्रा में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। जिससे केवल रोजगार नही बल्की स्थलांतर कि स्थिती में भि कमी आयी है। आज तक यह हालात निर्माण ही नही हुये जिससे आवेदक रोजगार की मांग करे और उन्हे रोजगार ना मिले।

रोजगार के प्रति दिये जानेवाला वेतन केवल नियमानुसार ही नही बल्की स्त्रि और पुरूष यह भेदभाव को दुर कर 'समान काम के लिए समान वेतन' इस नियम का भि पुरा पालन किया जा रहा है। इस आधार पर यह कहना गलत नही होगा की चाहे गावो में कितनी भी निरक्षरता क्यु न हो अगर इच्छा हो तो सरकारी योजनाओ का सही उपयोग किया जा सकता है।

- ***योजना (मग्रारोहयो) कि ग्रामीन जिवनस्तर सुधारने में भुमिका–***

मग्रारोहयो जीन प्रमुख उददेश से क्रियान्वीत कि गयी, उनमे ग्रामीण शहरी अर्थव्यवस्थाओमें जो असमतोल बढता जा रहा है, उसे दुर कर मुलभुत जरूरतो को पुरा कर सामाजिक–आर्थिक स्तर बेहतर करणे हेतू प्रयास करणा और उस दिशा में ग्रामीण जनता को प्रोत्साहीत करणा यह समिल्लीत था।

इस योजना से गाव कि सामाजिक–आर्थिक स्थिती में सुधार ही नही बल्की पुरूष, विशेष तौरपर महिलाओंने एक नया आत्मविश्वास पाया है, जो रोजगार ना मिलनेपर स्वयंसेवी समुहो की फिस जमा करणे के लिए पुरूषोपर निर्भर रहा करती थी। अनेक परिवारोमें इस योजना का सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है (सारणी क्र.2,3)। पेट कि भुख मिटाने से जादा जिन्होने कभी सपने में नही सोचा था जो इस योजना से रोजगार कि गारंटी मिलनेपर उन्होने हासिल किया है। बेशक इन आकडो कि संख्या कम दिखाई देती हो, पर यह इस योजना कि ही जादु थि कि, घर का निर्माण, जोडधंदे से लेकर सोने चांदी की गहणो की खरीदारी पर इसका प्रभाव पडा। भौतीक सुविधा में इस योजना नें अहंम भुमिका अदा कि है साथ में बच्चो को शालेय सुविधा, परिवार में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करणे में एक अच्छा रोल अदा किया है।

- ***निष्कर्ष –***

भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से जुडी है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषी क्षेत्रपर निर्भर है। भुमंडलीकरणसे कृषी क्षेत्रमे आये परिवर्तन, सिंचन सुविधाओका अभाव, बारीश की अनियमितता ऐसे अनेक कारणोसे कृषी क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है। इसी आधारपर ग्रामीण जनता को साल में पांच या छे महिने से उपर रोजगार नही मिल पाता। ऐसे हालात में रोजगार के लिए भटकंती कर शहर की ओर भिड बढ रही है, जिससे अनेक समस्या उत्पन्न हो रही है। इस स्थिती में 'महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' ग्रामीण जिवनस्तर में सुधार की दृश्टीसे एक किरण साबीत हो रही है। बेशक इस योजना में आसाम जैसे और राज्योमेंभी भ्रष्टाचार हुवा हो, पर इस योजना का अगर सही मायने में उपयोग किया जाये तो ग्रामीण जनता रोजगार के लिए नही बल्की अपनी सामाजिक आर्थिक हालात भी सुधार सकता है, यह इस अध्ययन से स्पष्ट होता है। जो जनता एक वक्त के लिए रोटी की लिए तरस रही थी, वही इस योजना ने परिवर्तन लाकर एक आत्मविश्वास कि रोशनी पैदी की है। हां यह सच है आँकडो की हिसाब से यह परिवर्तन भलेही कम दिखाई देता हो, पर केवल दो या तिन सालमें इसेसे अच्छा रिझल्ट नही हो सकता। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओके स्वयंसहायता समुहोने एक अच्छी क्रांती लायी है। पर अगर महिलाओको सालभर रोजगार उपलब्ध नही होता तो उसे अनेक संकट से गुजरना पडता था। आज इस योजना ने महिलाओमें एक विश्वास पैदा किया है, की हमे एसएचजी की मासिक रक्कम भरने में कोई दिक्कत नही आयेगी और ना ही पुरूषोपर निर्भर रहना पडेगा। और यही वह विश्वास था की जो महिला पुरी जिंदगी में गहना (जवाहारात) खरीदना एक सपना समझ रही थी, इस योजना से अनेक महिलाओका वह सपना भी साकार हुवा। केवल मोबाईल जैसी भौतीक सुविधा ही नही बल्की पशुधन की खरेदारी से उनकी परिपक्ता भी सिध्द होती है।

महात्मा गांधीजीने स्वयंपुर्ण ग्रामीन भारत का सपना देखा था, जो आज इस योजना से साकार होता दिखाई देता है। भलेही मंजिले अभि और दुर हो, पर इतना निश्चित है की भारत का 2020 का महासत्ता बनने सपना पुरा करणे में यह योजना मील का पत्थर साबित होंगी।

सारणी क्रं 1
नरेगा की राज्यनिहाय स्थिती 2010–2011

राज्य	खर्चा (रू.कोटी)	रोजगार निर्मिती (रोजगार दिन कोटी)	100 दिन रोजगार प्राप्त परिवार
राजस्थान	1592	19.7	1.05 लाख
उत्तरप्रदेश	1750	14.94	1.11 लाख
मध्यप्रदेश	1441	10.50	1.11 लाख
तामिळनाडु	1585	22.02	2.24 लाख
आंध्रप्रदेश	3637	27.37	6.25 लाख
महाराष्ट्र	192	1.23	22.5 लाख
स्त्रोत – लोकमत, 2 फेब्रु.2011			

सारणी क.2
मग्रारोह योजना का पारिवारीक सुविधाओपर पडा प्रभाव

अक	सुविधा	परिवारीक सुविधाओकी स्थिती			
		योजना के पुर्व	योजना में सहभाग पश्चात	सुविधा नही	कुल संख्या (प्रतिशत)
1	मकान का बांधकाम	89 (71.77)★	35 (28.23)	00 (00)	124(100)
2	बाथरूम	89 (71.77)	35 (28.23)	00 (00)	124(100)
3	बिजली	108(87.09)	10 (8.60)	06 (4.83)	124(100)
4	टिव्ही	22 (17.74)	13 (10.48)	89 (71.77)	124(100)
5	सिडी प्लेअर	07 (05.64)	05 (4.32)	112 (90.00)	124(100)
6	मोबाईल	11 (08.87)	85 (68.24)	28 (22.00)	124(100)
7	गृहपयोगी साधन	03 (02.41)	30 (24.19)	91 (73.78)	124(100)
8	सायकल	19 (15.32)	17 (13.70)	88 (70.96)	124(100)
9	एसएचजी में सहभाग	00 (00)	32 (25.80)	92 (74.19)	124(100)
10	पशुधन : बकरी	13 (10.48)	30 (24.19)	81 (65.32)	124(100)
11	: गाय	13 (10.48)	20 (16.12)	91 (73.38)	124(100)
12	: भैंस	04 (3.22)	17 (13.70)	103 (83.6)	124(100)
13	जवाहारात	00 (00)	15 (12.09)	109 (87.90)	124(100)

स्त्रोत– फिल्ड डाटा,★कोष्ट में दिखाई गई संख्या उत्तर देने वालो का प्रतिशत सुचित करती है।

सारणी क.3
मग्रारोह योजना की सामजिक–आर्थिक जिवनस्तर में भुमिका

अक	विधान	सहमत	अल्पसहमत	असहमत	कुल
1	योजनासे बेराजगारीका डर खत्म हुवा	75 (60.48)★	48 (38.70)	01 (0.80)	124 (100)
2	सामाजिक स्तर उपर उठने में मदत हुयी	85 (68.54)	37 (68.54)	02 (1.61)	124 (100)
3	रोजगार की ग्यॅरंटीसे आत्मविश्वास में बढोतरी	93 (75.00)	31 (25.00)	00 (00)	124 (100)
4	परिवार की जरूरते पुरी करणे में मदत हुयी	114 (91.93)	10 (08.06)	00 (00)	124 (100)
5	रोजाना आहार की गुणवत्ता में सुधार पहेलेकी तुलना में कपडो की अधिक खारेदारी	117 (94.35)	07 (05.65)	00 (00)	124 (100)
6	बच्चो की शालेय जरूरतो को समयपर पुरा कर पाना	121 (97.58)	03 (02.42)	00 (00)	124 (100)
7	स्वास्थ्य समस्या पर खाजगी सुविधा आर्थिक स्तर में बढोतरी	109 (87.90)	14 (11.29)	01 (0.80)	124 (100)
8	पुराना कर्जा चुकता करणे में मदत भविष्य की दृष्टिकोण से बचत करणा मुमकीन हुवा	95 (76.61)	03 (0.80)	26 (20.76)	124 (100)
9		92 (74.19)	01 (0.80)	31 (25.00)	124 (100)
10		108 (87.00)	00 (00.00)	16 (13.00)	124 (100)
11		98 (79.03)	02 (01.61)	24 (19.55)	124 (100)

स्त्रोत– फिल्ड डाटा,★कोष्ट में दिखाई गई संख्या उत्तर देने वालो का प्रतिशत सुचित करती है।

सदंर्भ सुची

.2011 जनगणना अहवाल. भारत सरकार. दिल्ली.
2011. दै.लोकमत. नागपूर. 2 फरवरी.
म.गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005. मिनीस्ट्री ऑफ रूरूल डेव्हलपमेंट, भारत सरकार. दिल्ली